न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास , आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 92 / 2023

प्रार्थीगण

1. कालूपुरी पुत्र लालपुरी उम्र 45 वर्ष
2. प्रेमपुरी पुत्र लालपुरी उम्र 60 वर्ष
3. मगपुरी पुत्र लालपुरी उम्र 70 वर्ष
4. मीरों पुत्री लालपुरी उम्र 62 वर्ष
5. रूपोदेवी पुत्री लालपुरी उम्र 50 वर्ष
6. डूंगरपुरी पुत्र मगनपुरी उम्र 35 वर्ष
7. रावतपुरी पुत्र मगनपुरी उम्र 40 वर्ष
8. रम्भादेवी पत्नि मगनपुरी (फौत के कायम मुकाम वादी संख्या 6 व 8)
9. सुगना पत्नि भंवरपुरी उम्र 55 वर्ष
10. पूजा पुत्री भंवरपुरी उम्र 30 वर्ष
11. प्रियंका पुत्री भंवरपुरी उम्र 25 वर्ष
12. मंजू पुत्री भंवरपुरी उम्र 25 वर्ष
13. लीला पुत्री भंवरपुरी उम्र 35 वर्ष
14. वर्षा पुत्री भंवरपुरी उम्र 12 वर्ष
15. सवाईपुरी पुत्र भंवरपुरी उम्र 13 वर्ष

नाबालिग वादीगण संख्या 14 से 15 जरिये सरंक्षक कुदरती वली माता वादी संख्या 9 सुगना पत्नि भंवरपुरी

जातियान स्वामी निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अमराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 30 वर्ष
2. ईसराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 40 वर्ष
3. धनाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 25 वर्ष
4. नेनाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 24 वर्ष
5. भींयाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 20 वर्ष
6. हडमानराम पुत्र तुलसाराम उम्र 21 वर्ष
7. मगाराम पुत्र मदरूपाराम उम्र 60 वर्ष
8. ईशराराम पुत्र गोमाराम उम्र 60 वर्ष
9. केसीदेवी पत्नि उम्मेदाराम उम्र 70 वर्ष
10. कानाराम पुत्र गोमाराम उम्र 65 वर्ष
11. खेताराम पुत्र उम्मेदाराम उम्र 40 वर्ष
12. खेमाराम पुत्र बींजाराम उम्र 40 वर्ष
13. चुतराराम पुत्र आईदानराम उम्र 45 वर्ष
14. चम्पादेवी पत्नि आईदानराम उम्र 70 वर्ष
15. जगाराम पुत्र बींजाराम उम्र 45 वर्ष
16. जियोदेवी पत्नि बींजाराम उम्र 60 वर्ष
17. जोगाराम पुत्र उम्मेदाराम उम्र 45 वर्ष
18. मेगाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 55 वर्ष
19. रेखाराम पुत्र बींजाराम उम्र 48 वर्ष
20. रामाराम पुत्र आईदानराम उम्र 45 वर्ष
21. [illegible] पुत्र गोमाराम उम्र 70 वर्ष
22. [illegible] पुत्र गोमाराम उम्र 60 वर्ष
23. [illegible] उम्र 65 वर्ष
24. [illegible] पुत्र गिरधारीराम उम्र 60 [illegible]
25. सिणगारी पत्नि गिरधारीराम उम्र 70 [illegible]
26. राणाराम पुत्र करनाराम उम्र 70 वर्ष

जातियान जाट निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

जातियान सुथार निवासी सरेली की ढाणी ... सिणधरी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:29 IST
Reason: SelfAttested

28 हरिसिंह पुत्र आम्बसिंह उम्र 65 वर्ष
जातिगान राजपूत निवासी एड मानजी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

29 मंगाराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष

30 मालूराम पुत्र सोनाराम उम्र 60 वर्ष
जातिगान लोहार निवासी एड मानजी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

31. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 19.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, अवस्थित है। प्रार्थीगण का उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड़ सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:29 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण [illegible] तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को [illegible] का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है।

प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 251/236 रकबा 9.7080 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त [illegible] प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित [illegible] तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी